

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-३/१अम्बेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास, जयपुर

ब्रगांक —एफ.४()विविध/सामान्य/सान्याअवि/२०२०/ १८५९।


जयपुर, दिनांक १३.३.२०२०

विज्ञप्ति

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती दिनांक 14 अप्रैल, 2020 के अवसर पर निम्न राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए प्रस्ताव जिला कलक्टर के माध्यम से आमन्त्रित किये जाते हैं:-

क्र. सं.	पुरस्कार	पात्रता/क्षेत्र
1	अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार	आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो तथा संस्था राजस्थान में कम से कम ५ वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा, भारत/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने तथा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रों से वंचित वर्ग के लिए उल्लेखनीय कार्य किये हों।
2	अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार	आवेदिका राजस्थान की मूल निवासी हो तथा संस्था राजस्थान में कम से कम ४ वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य, भारत/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने तथा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रों से वंचित वर्ग के लिए उल्लेखनीय कार्य किये हों।
3	अम्बेडकर पुरस्कार	न्याय

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी-३/१ राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर के पते पर दिनांक 31.3.2020 तक डाक से अथवा व्यक्तिशः जमा कराए जा सकते हैं। गत वर्षों में पुरस्कृत संस्था/व्यक्ति आवेदन नहीं करें। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु विभाग के जिला कार्यालय अथवा दूरभाष न. ०१४१-२२२०१९४ पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।


12-03-2020
(नन्नमूल पहाड़िया)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

१०

राजस्थान सरकार
सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी ३/१, राजमहल रोड़ीटेक्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ १८ ()अम्बे/सान्याअवि/०७/ ६२६७

जयपुर, दिनांक २५/५/०८

अम्बेडकर पुरस्कार योजना के दिशा-निर्देश

- प्रस्तावना : राज्य सरकार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान कर इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्प है। भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रीय सोच के अन्तर्गत पिछड़े लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित किया। राज्य सरकार ने डा. अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा लेकर उनके नाम से उनकी जयन्ती दिनांक 14.4.2005 को राज्य में सामाजिक सेवा, शिक्षा, महिला उत्थान एवं व्याय के क्षेत्रों में उल्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रति वर्ष अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था।
- पुरस्कार : निम्नानुसार पुरस्कार दिये जायेंगे :-

(1) **अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार** : यह पुरस्कार निम्नानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को दिया जायेगा :-

अ. व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी हो/ संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो।

ब. जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र। ✓

स. संस्था/ व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रही हो।

द. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका/ योगदान रहा हो।

य. संस्था/ व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा ख्यां के स्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हो।

उक्तानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं से प्राप्त आदेन पत्रों में से एक का चयन गठित समिति द्वारा किया जायेगा तथा चयनित व्यक्ति/ संस्था को लघु एक लाख एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

(2) **अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार** : यह पुरस्कार निम्नानुसार पात्रता रखने वाली महिला/ महिलाओं की संस्था को दिया जायेगा :-

अ. राजस्थान की मूल निवासी हो/ संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो।

- ब. जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण पत्र ।
- स. संस्था/ महिला कम से कम 4 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/ जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत रही हो।
- द. महिला उत्थान के क्षेत्रों में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में उल्लेखनीय योगदान रहा हो।
- य. संस्था/ महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा रखयं के स्रोतों से वंचित वर्ग के लिये कार्य किया हो।

उक्तानुसार पात्रता रखने वाली संस्थाओं / महिलाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों में से एक का चयन गठित समिति द्वारा किया जायेगा तथा चयनित संस्था/ महिला को रूपये 51 हजार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

(3) **अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार :** राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 एवं 10+2 की परीक्षाओं में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्गों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी रूपये 51 हजार व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।
इस प्रकार इस वर्ग के प्रतिवर्ष 8 पुरस्कार दिये जावेंगे।

(4) **अम्बेडकर व्यायाम पुरस्कार :** यह पुरस्कार निम्नानुसार पात्रता रखने वाले अधिवक्ता को दिया जायेगा :-

अ. राजस्थान का मूल निवासी हो।

ब. जिला कलक्टर एवं जिला सेंशन व्यायाधीश द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठता प्रमाण पत्र।

स. अधिवक्ता कम से कम 10 वर्ष से बकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के व्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, उच्च एवं उच्चतम व्यायालय में निःशुल्क/ व्यून शुल्क पर पैरवी कर ऐसे प्रकरणों के निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुये प्रभाव।

द. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के कल्याण के लिये प्रचलित अधिनियमों/ नियमों में कोई संशोधन करवाया हो/ नये अधिनियम/ नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका।

उक्तानुसार पात्रता रखने वाले अधिवक्ताओं से प्राप्त आवेदन पत्रों में से एक का चयन निर्धारित समिति द्वारा किया जायेगा तथा चयनित अधिवक्ता को रूपये 51 हजार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

(5) **पुरस्कार चयन की प्रक्रिया :** तिन्दु संख्या 2 में वर्णित पुरस्कारों के लिए पात्र व्यक्तियों में से उत्कृष्ट का चयन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :

(1) अम्बेडकर सामाजिक सेवा एवं अम्बेडकर महिला पुरस्कार के लिए र्ख्यति/ संस्था अथवा किसी अन्य प्रस्तावक द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान के एक अग्रणी समाचार पत्र में प्रत्येक वर्ष माह जनवरी में विज्ञापन के माध्यम से फरवरी के अन्त तक संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जिला कलक्टर के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायें। इन प्राप्त आवेदन पत्रों को निम्न समिति के समक्ष चयन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा:

1. माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
2. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
3. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. निदेशक/ आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

~~उक्त समिति~~ मार्च के प्रथम सप्ताह में बैठक कर उत्कृष्ट व्यक्ति/ संस्था का चयन ~~करेगी। व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए व्यक्ति विशेष की व्यूनतम आयु 40 वर्ष से कम होने पर स्वीकार्य नहीं होगा।~~

(2) **अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को प्रति वर्ष जनवरी में पत्र लिखकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बर्गों में कक्षा 10 एवं 10+2 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के नाम निम्न तालिका में प्राप्त किये जायें।**
माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक परीक्षा: वर्ष अनुसूचित जाति / जनजाति

नामांक	विद्यार्थी का नाम मर्यादा पता	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	प्राप्तांक	प्रतिशत	सामान्य वरीयता यूनी में स्थान

(3) अम्बेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार के लिए प्रतिवर्ष माह नवम्बर में एक अग्रणी राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर राजस्थान मुल के अधिवक्ताओं/ प्रस्तावकों से निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 'ब') में प्रस्ताव आमंत्रित किये जायें। राजस्थान बार काउन्सिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपने स्तर से भी इस पुरस्कार हेतु योग्य अधिवक्ताओं के विवरण निदेशालय निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भिजवा सकें। फरवरी के अंत तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर मार्च के प्रथम सप्ताह में निम्न समिति द्वारा उत्कृष्ट अधिवक्ता का चयन किया जायेगा :

1 मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार

2 रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च व्यायालय

3 प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान

4 विधि सचिव, राजस्थान सरकार

5 अध्यक्ष, बार काउन्सिल राजस्थान उच्च व्यायालय

6 प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग


7 आयुक्त/ निदेशक, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग

4 पुरस्कार सीमा : एक व्यक्ति / संस्था को अपने जीवन काल में एक ही बार अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा परन्तु यह शर्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी जो कक्षा 10+2 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति या संस्था को जनवरी 15 अगस्त / 26 जनवरी पर राज्य स्तर पर सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सम्मानित किया जा चुका है उसे अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जायेगा।

5 पुरस्कार दिये जाने की तिथि व स्थान : ये पुरस्कार अम्बेडकर जेयन्टी पर दिये जायेंगे तथा स्थान का निर्धारण सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जेयन्टी मनाये जाने से पूर्व किया जाकर समाचार पत्रों के माध्यम से सम्बोधित व्यक्तियों/ संस्थाओं एवं आमजन को सूचित किया जायेगा।

6 इन पुरस्कारों में यदि किसी प्रतिष्ठित संस्था / व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण में संलग्न हो और आवेदन नहीं किया हो तो राज्य सरकार स्वयं के स्तर से भी उन्हें अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने की पात्रताओं को दृष्टिगत रखते हुएं पुलष्कृत करने का निर्णय ले सकेगी।

7 इन पुरस्कारों के दिये जाने की प्रारम्भ से अन्त तक की प्रक्रिया में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।


प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ १८ ()अम्बे/सान्व्याअवि/०७/ ६२७०-५०० जयपुर, दिनांक : ७.२.०८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
8. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. जिला कलकटर
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
11. अध्यक्ष, बार काउन्सिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/ जोधपुर।
12. विशिष्ट सहायक, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
14. आदेश पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव

अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

(दिनांक १.१.२००..... तक पिछले ५ वर्षों से कार्यरत हो आवेदन करें।)

- प्रोटो
१. शरणसेरी संस्था/व्यक्ति का नाम
 २. पिता का नाम
 ३. जन्मतिथि
 ४. स्वयंसेवी संस्था/व्यक्ति का पता
स्थायी पता
पत्र व्यवहार का पता फोन नं.
 ५. यदि संस्था है तो पंजीकरण संख्या दिनांक (पुष्टि हेतु
सत्यापित प्रति संलग्न करें)
 ६. अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान के लिए संस्था/व्यक्ति द्वारा पिछले ५ वर्षों किये
गये कार्यों का विवरण मय दस्तावेज
 ७. जिला कलक्टर द्वारा चरित्र एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रमाण पत्र
 ८. भारत सरकार/राज्य सरकार/ जिला कलक्टर द्वारा दिए गए सम्मान का विवरण (यदि
कोई हो)
 ९. संस्था द्वारा विदेशी/ स्वदेशी अनुदान प्राप्त किये जाने का पिछले ५ वर्षों का वर्षावार
विवरण
 १०. संस्था के स्वयं के भवन का विवरण
 ११. संस्था/व्यक्ति के बैंक खातों का विवरण

आवेदक/संस्था के मुखिया का
नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय जिला कलक्टर

उपरोक्त संस्था/ व्यक्ति द्वारा दिये गये विवरण का
सत्यापन करवा लिया गया है। संस्था/ व्यक्ति को अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार वर्ष,
दिये जाने की अंगिशंबा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील
जिला कलक्टर

अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

1. महिला/ संस्था का नाम
2. पिता/ पति का नाम
3. जन्मतिथि
4. पता :
पत्र व्यवहार का पता :
स्थायी पता : फोन. न.
5. अगर संस्था है तो संस्था का पंजीयन संख्या दिनांक
6. महिला/संस्था द्वारा पिछले ५ वर्षों में बाबा साहेब के सिद्धान्तों के अनुरूप किये गये उल्लेखनीय कार्यों का दस्तावेज सहित विवरण
7. महिला कल्याण के लिए किये गये कार्यों का विवरण
8. पूर्व में जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है उनका विवरण

आवेदक/संस्था के मुख्या का
नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय जिला कलकट्टा

उपरोक्त संस्था/ महिला शाम/कस्बा तहसील

जिला के सम्बंध में इनके द्वारा दिये गए विवरण का सत्यापन करवा लिया है। इनकों
अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार वर्ष प्रदान किये जाने की सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील
जिला कलकट्टा

नोट : आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों संलग्न करें।

अम्बेडकर सामाजिक व्याय पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

- | | |
|--|--------------|
| 1. अधिवक्ता का नाम | |
| 2. पिता का नाम | |
| 3. आवेदक का पता
पत्र व्यवहार का पता | |
| स्थायी पता | फोल न. |
| 4. जन्मतिथि | |
| 5. शैक्षणिक योग्यता | |
| 6. बार काउंसिल का पंजीयन क्रमांक | दिनांक |
| 7. दिनांक से पिछले 10 वर्षों के वकालात के दौरान निर्णित मुकदमों का विवरण | |

क्र. स.	व्यायालय का नाम	ऐसवी किये गये प्रकरणों की संख्या		लाभान्वितों की संख्या	
		एस.सी	एस.टी	एस.सी	एस.टी
1	अधीनस्थ व्यायालय				
2	उच्च व्यायालय				
3	उच्चतम व्यायालय				

नोट: उक्त तालिका में अंकित निर्णित प्रकरणों की पठनीय छाया प्रतियाँ।

8. जिला कलक्टर एवं जिला सेशन व्यायाधीश द्वारा चरित्र एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र का प्रमाण पत्र।
9. अधिवक्ता द्वारा समाज सेवा हेतु किये गये अन्य कार्यों का विवरण मय दस्तावेज

10. आरक्षित वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए किसी कानून विशेष में संशोधन करने अथवा नया कानून बनवाने में कोई योगदान दिया हो तो उसका विवरण
11. अन्य कोई विवरण

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

जिला कलक्टर/ जिला एवं सब व्यायाधीश कार्यालय..... की टिप्पणी
श्री/ श्रीमती को अम्बेडकर सामाजिक व्याय पुरस्कार वर्ष

के लिए अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील

जिला कलक्टर/ जिला एवं सब व्यायाधीश

नोट : आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों संलग्न करें।